

## आपका ऑनलाइन वीजा आवेदन पूरा करने के लिए दिशानिर्देश

इस दस्तावेज का उद्देश्य आपके ऑनलाइन वीजा आवेदन को पूरा करने में आपकी सहायता करना है।

ऑनलाइन वीजा आवेदन की सुविधा केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है और सभी सवालों के जवाब अंग्रेजी में देना आवश्यक है।

यह मार्गदर्शन दस्तावेज अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, हिंदी, रूसी, तुर्की और उर्दू में भी उपलब्ध है।

### **प्रारंभ करने से पहले**

अपना ऑनलाइन वीजा आवेदन पूरा करने से पहले आपको आयरिश न्यूट्रलाइजेशन और आब्रजन सेवा की वेबसाइट [www.inis.gov.ie](http://www.inis.gov.ie) पर मौजूद वीजा की पूरी सूचना पढ़नी चाहिए। 'एप्लाइ फॉर ए वीजा' पृष्ठों पर आपको वीजा के विभिन्न प्रकारों और आवेदन प्रक्रिया में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पर दिशानिर्देश सहित जानकारी मिल जाएगी, जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं जो आप प्रस्तुत करने पर विचार करना चाह सकते हैं।

सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो आप प्रस्तुत करने के लिए चुनते हैं वे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे उस देश में आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जहां से आप आवेदन कर रहे हैं। वीजा अधिकारी आपके आवेदन पर आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निर्णय करेगा। कृपया ध्यान दें कि वीजा अधिकारी को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी आप पर है वीजा बताए गए उद्देश्य पर प्रदान किया जाना चाहिए।

सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अंग्रेजी में ही या पूर्ण अनुवाद के साथ होने चाहिए। प्रत्येक अनुवादित दस्तावेज में शामिल होना चाहिए:

- अनुवादक से पुष्टि कि यह मूल दस्तावेज का सही अनुवाद है,
- अनुवाद की तारीख,
- अनुवादक का पूरा नाम और हस्ताक्षर, और
- अनुवादक का संपर्क विवरण।

किसी बिज़नेस, कंपनी या अन्य संगठन से प्रस्तुत सभी पत्र, आधिकारिक हेडेड पेपर पर होने चाहिए और पूरी संपर्क जानकारी दें ताकि वे सत्यापित किए जा सकें। ये शामिल करना चाहिए डाक का पूर्ण पता, संपर्क का नाम, संगठन में पद, टेलीफोन नंबर (लैंडलाइन), वेबसाइट, और ईमेल पता (ईमेल पते जैसे याहू या हॉटमेल स्वीकृत नहीं हैं)।

वीजा अधिकारी प्रत्येक आवेदन पर इसकी योग्यता के आधार पर विचार करता है और अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज का अनुरोध कर सकता है। अगर आपका आवेदन अबू धाबी, अबुजा, बीजिंग, लंदन, मास्को या नई दिल्ली में स्थित आयरिश आब्रजन और न्यूट्रलाइजेशन सर्विस के विदेशी कार्यालयों में से एक द्वारा निर्णित किया जाना है तो आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी आगे के दस्तावेज की जानकारी के लिए उनकी वेबसाइट देखें जिनकी इन कार्यालयों को आवश्यक हो। संपर्क विवरण [www.dfa.ie](http://www.dfa.ie) पर 'सर्विस टू पब्लिक' के तहत पाया जा सकता है।

कृपया सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन आवेदन पूरा करने से पहले प्रस्तुत करने के लिए आपके पास सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तैयार हैं।

### **झूठी, धोखाधड़ी या भ्रामक जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करना**

अगर आप अपने आवेदन के हिस्से के रूप में किसी भी गलत या भ्रामक जानकारी, या झूठे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करते हैं, तो परिणाम स्वरूप आपका आवेदन अपील करने के अधिकार के बिना रद्द हो सकता है। साथ ही 5 साल की अवधि के लिए आगे आयरिश वीजा आवेदन करने से रोका जा सकता है।

## **पासपोर्ट फोटो**

आपको अपने आवेदन के साथ २ हालिया पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ प्रस्तुत करने आवश्यक हैं. यह तस्वीर होनी चाहिए:

- 6 माह से अधिक पुरानी नहीं
- न्यूनतम आकार 35 मिमी x 45 मिमी, अधिकतम आकार 38 मिमी x 50 मिमी
- फोटो पेपर पर मुद्रित
- शार्प और स्पष्ट हो, और एक सादा सफेद या हल्के भूरे रंग की पृष्ठभूमि के साथ हो
- सामने की मुद्रा सीधे कैमरे को देखता और पूरा चेहरा दिखाता. चेहरा तस्वीर का 70-80% होना चाहिए. दोनों आँखें खुली और मुंह बंद के साथ भाव तटस्थ होना चाहिए. आंखों को ढकते बाल नहीं होने चाहिए.
- सर केवल धार्मिक कारणों से ढके होने की अनुमति दी जाती है. हेयर बैंड की अनुमति नहीं है
- धूप का चश्मा स्वीकार्य नहीं हैं. अगर चश्मा पहनते हैं तो स्पष्ट कांच का होना चाहिए ताकि आंखें दिखाई दें

## **अलग वीजा की आवश्यकता**

आयरलैंड की यात्रा करने के इच्छुक हर व्यक्ति को अपने वीजा की आवश्यकता होती है. इसका मतलब भले ही आपके आश्रित आपके पासपोर्ट में शामिल किए गए हैं, उनमें प्रत्येक के लिए अलग वीजा की आवश्यकता होगी. इसलिए आपको आयरलैंड यात्रा के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति के लिए वीजा आवेदन करना चाहिए. वीजा शुल्क प्रत्येक आवेदन के लिए देय है.

## **बायोमीट्रिक जानकारी**

आवेदन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आपको अपनी बायोमीट्रिक जानकारी प्रदान करना आवश्यक है यानी आपकी उंगलियों के निशान और लाइव कैप्चर चेहरा छवि (दूसरे शब्दों में एक डिजिटल तस्वीर). अगर यह आवश्यकता आपपर लागू होती है तो जब आप आवेदन प्रस्तुत कर रहे हों तब आपको ऑनलाइन सूचित किया जाएगा.

अगर आपको बायोमीट्रिक जानकारी प्रदान करना आवश्यक है और आप ऑनलाइन आवेदन करते समय गलत तरीके से बायोमीट्रिक मुक्त होने का दावा करते हैं तो परिणाम स्वरूप आपका आवेदन अपील करने के अधिकार के बिना रद्द हो सकता है. साथ ही 5 साल की अवधि के लिए आगे आयरिश वीजा आवेदन करने से रोका जा सकता है.

## **ऑनलाइन वीजा आवेदन सुविधा में प्रवेश**

जब आप ऑनलाइन वीजा आवेदन की सुविधा में प्रवेश करें तो आपको पुष्टि करने की जरूरत होगी कि आपने हमारी वेबसाइट [www.inis.gov.ie](http://www.inis.gov.ie) पर मौजूद वीजा संबंधी सभी जानकारी, हमारे नियम और शर्तें, हमारी गोपनीयता नीति सहित हमारे डेटा सुरक्षा दायित्वों का ब्योरा पढ़ लिया है.

यह सेवा केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है और सभी सवालों के जवाब अंग्रेजी में ही दिया जाना चाहिए. सहायता सुझाव कुछ क्षेत्रों के लिए उपलब्ध हैं जो बताते हैं कि किस जानकारी की आवश्यकता है.

अगर आपने सारी आवश्यक मार्गदर्शन जानकारी और दस्तावेजीकरण पढ़ लिया है, और दिए गए बॉक्स में टिक कर इस बात की पुष्टि की है, तो आप अब अपना आवेदन शुरू करने के लिए तैयार हैं.

## वीजा के प्रकार

- पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा आप किस प्रकार के वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं - अल्प स्टे (सी) या लम्बे समय का स्टे (डी).

अगर आप 3 महीने से कम समय के प्रवास के लिए आयरलैंड की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको अल्प स्टे 'सी' वीजा के लिए आवेदन करना होगा. अल्प प्रवास वीजा इस तरह के उद्देश्यों के लिए प्रदान किया जाता है जैसे पर्यटन (अध्ययन के एक संक्षिप्त कोर्स सहित), परिवार या दोस्तों से मिलना, व्यापार, एक सम्मेलन/ समारोह में भाग लेना, परफार्मेंस/ टूर्नामेंट में भाग लेना, शादी करना या नागरिक भागीदारी में प्रवेश करना, अल्प अवधि का कार्य जिसमें टिपिकल वर्किंग स्कीम के तहत अनुमोदन प्रदान किया जाता है, चिकित्सा उपचार, परीक्षा में बैठना, अवैतनिक इंटरशिप उपक्रम, प्रशिक्षण के कुछ प्रकार, किसी जहाज में शामिल होना या अपने देश में गंतव्य के लिए प्रवेश करते किसी आयरिश बंदरगाह से गुजरना.

अगर आप 3 महीने से अधिक के लिए आयरलैंड की यात्रा करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए, लम्बे समय तक काम करने के लिए या परिवार के सदस्यों के साथ आयरलैंड में स्थायी रूप से बसना चाहते हैं जो पहले से आयरलैंड में रहते हैं, तो आप लम्बे समय रहने के लिए एकल प्रवेश के लिए 'डी' वीजा का आवेदन कर सकते हैं.

## एक या कई यात्राएं

- अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 'यात्रा प्रकार'- यह एक है या कई.

एकल यात्रा वीजा आपको वीजा पर दिखाई गई वैधता दिनांक के भीतर एक अवसर पर आयरलैंड में प्रवेश की अनुमति देगा.

बहु यात्रा वीजा आपको वीजा पर दिखाई गई वैधता दिनांक के भीतर कई अवसरों पर आयरलैंड में प्रवेश की अनुमति देगा.

अगर आप एक अल्प अवधि 'सी' वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप एक या बहु प्रवेश वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं.

अगर आप एक से अधिक यात्रा वीजा के लिए आवेदन करते हैं लेकिन एकल यात्रा वीजा दिया जाता है तो वीजा शुल्क में अंतर किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा.

अगर आप लम्बे समय तक रहने के लिए 'डी' वीजा आवेदन कर रहे हैं यानी आयरलैंड में 3 महीने से अधिक रहने के लिए, उदाहरण के लिए अध्ययन काम या परिवार के सदस्यों में शामिल होने के उद्देश्य से जो पहले से यहाँ रह रहे हैं, तो आपको एकल प्रवेश, लम्बे समय रहने के वीजा के लिए आवेदन करना चाहिए.

## अल्प अवधि बहु प्रवेश वीजा के आवेदनों पर अंडरपिनिंग निर्णय पर विचार की नीति

बहु प्रवेश वीजा आमतौर पर केवल उस आवेदक को जारी किए जाते हैं जिसका अनुरूप यात्रा इतिहास दिखाया गया है.

अगर आपके पास 2 पिछले आयरिश वीजा पड़े हैं और आपने इन वीजा की शर्तों को देखा है (जैसे आप अधिक नहीं रहे या अवैध रूप से काम नहीं किया) तो आप कई यात्राओं के वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं.

एक बहु प्रवेश वीजा की कुछ निश्चित परिस्थितियों में मंजूरी दी जा सकती है अगर आपका आयरलैंड यात्रा का इतिहास नहीं है उदाहरण के लिए अगर:

- आपको व्यापार बैठकों के लिए अल्प अवधि पर आयरलैंड के लिए नियमित रूप से यात्रा करने की जरूरत है. आपको इस बात का सबूत प्रस्तुत करना चाहिए अपने नियोक्ता और आयरलैंड में उस कंपनी से जिसके साथ आप व्यापार में संलग्न हैं (जहां प्रासंगिक हो),
- व्यापार पर आयरलैंड में, आपको किसी दूसरे देश की यात्रा की जरूरत है, आगे की बैठकों, या आगे यात्रा, के लिए आयरलैंड लौटना है, या
- आप आयरलैंड के माध्यम से, किसी दूसरे देश आ जा रहे हैं.

कोई भी व्यक्ति जिसे लम्बे समय प्रवास (डी) वीजा जारी किया गया है, और 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए आयरलैंड में बने रहने का इरादा रखता है उसे राज्य में आगमन के 90 दिनों के भीतर गार्डा राष्ट्रीय आप्रवासन ब्यूरो (GNIB) में रजिस्टर करना होगा. (अधिक जानकारी के लिए [www.garda.ie](http://www.garda.ie) देखें). एक बार आपको गार्डा पंजीकरण कार्ड जारी कर दिया गया तो आप आवश्यक हो तो बहु- यात्रा- पुनः प्रवेश वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस मामले पर आगे की जानकारी के लिए कृपया [www.inis.gov.ie](http://www.inis.gov.ie) पर द री- एंट्री वीजास पेजेस देखें

#### **आपके ऑनलाइन आवेदन के साथ सतत ....**

- इसके बाद आपको यात्रा के कारण का चयन करने की आवश्यकता है. उदाहरण के लिए, यदि आप पर्यटक के रूप में आयरलैंड की यात्रा करना चाहते हैं, तो "विजिट टूरिस्ट" का चयन करें या अगर आप आयरलैंड में परिवार या दोस्तों से मिलना चाहते हैं, तो "विजिट फैमिली/ फ्रेंड्स" का चयन करें.

आपने यहां जो विकल्प चुना उससे शेष प्रक्रिया के दौरान पूछे जाने वाले सवालों का निर्धारण होगा तो यह महत्वपूर्ण है कि आप उपलब्ध कराई गई सूची में से सही कारण का चयन करें.

अपने आवेदन में यात्रा के गलत कारण चयन से यह आपको लौटाया जा सकता है और आपको एक नया आवेदन देने के लिए कहा जा सकता है.

- अगर यात्रा का कारण इस सूची में नहीं दिखाया गया है, तो आपको 'अन्य' विकल्प का चयन करना चाहिए.
- इसके बाद आपको संक्षेप में अगले क्षेत्र 'पर्पज ऑफ ट्रेवल' में सही कारण का उल्लेख करना चाहिए. इस क्षेत्र को किसी भी विकल्प के लिए अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
- इसके बाद आपको अपने पासपोर्ट के प्रकार और पासपोर्ट नंबर (अधिकांश लोगों के पास राष्ट्रीय पासपोर्ट होता है) का चयन करना चाहिए
- अब प्रस्तावित तिथियाँ दर्ज करें जिनपर आप आयरलैंड में आने और जाने का इरादा रखते हैं. अगर आप लम्बी अवधि के वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपकी प्रस्थान तिथि नहीं हो सकती, इसलिए आप 'टू' क्षेत्र खाली छोड़ सकते हैं. अल्पकालिक वीजा के सभी आवेदकों को इस क्षेत्र में आयरलैंड से प्रस्थान की प्रस्तावित तिथि दर्ज करनी चाहिए.
- अगली स्क्रीन पर जाने के लिए 'सेव एंड कन्टीन्यू' बटन पर क्लिक करें.
- अगर आपने किसी भी अनिवार्य क्षेत्र को खाली छोड़ दिया है, तो स्क्रीन के शीर्ष पर लाल रंग में एक संदेश दिखाई देगा. आपको स्क्रीन पर नीचे स्क्रॉल करने की आवश्यकता है यह देखने के लिए कि कौनसा क्षेत्र पूरा करने की जरूरत है
- आगे आपको अपना सरनेम, फोरनेम, और अन्य नाम (माँ) को दर्ज करना होगा (जैसे जन्म के समय या मायके का नाम).
- आपके जन्म की तारीख ddmmyyyy प्रारूप में होनी चाहिए - जैसे 07091982 - 7 सितम्बर 1982
- उपयुक्त बॉक्स में टिक कर अपना लिंग दर्शाएँ.
- अगला, उपलब्ध कराई गई सूची में से अपना जन्म देश का चयन करें.
- राष्ट्रियता के अपने देश के लिए भी ऐसा ही करें. राष्ट्रियता के लिए आपको उस देश का चयन करना चाहिए जिसका आपके पास पासपोर्ट है. अगर आपकी दोहरी राष्ट्रियता है तो आपको उस देश का चयन करना चाहिए जिस पासपोर्ट पर आप यात्रा करना चाहते हैं.
- वर्तमान स्थान के लिए आपको वर्तमान में जिस देश में रह रहे हैं उसका चयन करना चाहिए.
- एक पूर्ण पते की आवश्यकता है (पोस्ट ऑफिस बॉक्स पता पर्याप्त नहीं है). यहां केवल आपके वर्तमान पते की आवश्यकता है और विवरण दर्ज करने के लिए आप 4 लाइनों का उपयोग कर सकते हैं
- साथ ही कृपया अपना टेलीफोन नंबर, और ईमेल पता प्रदान करें, जिसपर वीजा अधिकारी काम के घंटे के दौरान आपसे संपर्क कर सकते हैं.
- 'सेव एंड कन्टीन्यू' बटन पर क्लिक करें. तब आपको आपका यूनिक ट्रांजेक्शन नंबर दिया जाएगा. एक बार आपको यह नम्बर मिल जाए तो आप अपना आवेदन सेव कर सकते हैं, किसी भी स्तर पर इस प्रक्रिया से बाहर निकल सकते हैं, और 30 दिनों के भीतर अपने आवेदन को पूरा करने के लिए वापस आ सकते हैं.
- इन 30 दिनों के दौरान किसी भी समय स्क्रीन के बाईं तरफ 'रीट्राइव एप्लीकेशन' विकल्प का उपयोग कर अपना आवेदन प्राप्त कर सकते हैं. आपको अपने ट्रांजेक्शन नम्बर, पासपोर्ट नंबर, राष्ट्रियता का देश और अपना जन्म दिनांक दर्ज करने की आवश्यकता होगी.

शेष सवाल जो आपसे पूछे जाएँगे वे आपकी यात्रा के उद्देश्य पर निर्भर करेंगे, लेकिन आम तौर पर आपके पहले के आग्रजन इतिहास, आपके वर्तमान व्यवसाय (अगर कोई है), आयरलैंड में आपके मेजबान / परिवार के सदस्य, आपकी व्यक्तिगत स्थिति और पारिवारिक विवरण से संबंधित ब्यौरा होगा.

कई सवालों का 'हां' या 'नहीं' जवाब देने का विकल्प होगा. इन विकल्पों में से एक को चुनने में, आगे के प्रश्न आप के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं जो तब तक दिखाई नहीं देंगे जब तक आप प्रासंगिक बॉक्स पर टिक नहीं करते. इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप हमेशा सही उत्तर का चयन करें; अन्यथा आप महत्वपूर्ण जानकारी को पूरा करने से बाहर हो सकते हैं जिससे आपके आवेदन की पूर्णता की प्रोसेसिंग में देरी होगी, और परिणाम इनकार में आ सकता है.

कुछ क्षेत्र अनिवार्य हैं और आप तब तक अपना आवेदन जारी रखने के लिए सक्षम नहीं होंगे जब तक इन क्षेत्रों में सूचना दर्ज नहीं करते.

अब आवेदन की ज्यादातर श्रेणियों से संबंधित सवालों को कवर करने के लिए, आपके ऑनलाइन वीजा आवेदन के शेष को पूरा करने के विस्तृत दिशानिर्देश इस प्रकार हैं -

## सामान्य जानकारी

- अपने निवास के वर्तमान देश में रहे साल और महीनों की संख्या का चयन करें, और आयरलैंड में ठहरने के बाद वहां लौटने की अनुमति है या नहीं
- अगर आप ऐसे देश से आवेदन कर रहे हैं जिसमें आयरिश वीजा आवेदकों को बायोमीट्रिक जानकारी (उंगलियों के निशान और डिजिटल फोटोग्राफ) प्रदान करना आवश्यक है तो आवेदन की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आपसे अगला सवाल पूछा जाएगा "क्या आपको बायोमीट्रिक्स प्रदान करने की आवश्यकता से छूट है? इस सवाल का जवाब आपको "हां" या "नहीं" में देना होगा. आपको सलाह दी जाती है कि इस सवाल के जवाब से पहले "चेकलिस्ट ऑफ बायोमीट्रिक एक्सेम्पशन्स" पर क्लिक करें. अगर आप "हाँ" में जवाब देते हैं तो आपको छूट के प्रकार का चयन करना होगा- "5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे" या "अन्य". अगर आप "अन्य" चुनते हैं तो आपको कारण बताना होगा.

"बायोमीट्रिक छूट की चेकलिस्ट" का पाठ आपकी जानकारी के लिए नीचे निर्धारित है.

### बायोमीट्रिक छूट की चेकलिस्ट का पाठ

#### चेतावनी

अगर अपने ऑन लाइन आवेदन फार्म को पूरा करते समय आप गलत तरीके से बायोमीट्रिक मुक्त होने का दावा करते हैं तो आप जोखिम में होते हैं:

- आपका आवेदन अपील करने के अधिकार के बिना रद्द किया जा सकता है, और
- पांच साल की अवधि के लिए आगे वीजा आवेदन करने से रोका जा सकता है.

क्या आपको बायोमीट्रिक्स प्रदान करने की आवश्यकता से छूट दी गई है इसकी जाँच करने के लिए कृपया यह सूचना नोट ध्यान से पढ़ें.

वीजा आवेदकों के संबंध में हमारे बायोमीट्रिक्स नीति पर अधिक जानकारी के लिए आयरिश न्यूट्रलाइजेशन और आव्रजन सेवा की वेबसाइट [www.inis.gov.ie](http://www.inis.gov.ie) में वीजा पृष्ठों का संदर्भ लें

#### १. "बायोमीट्रिक्स प्रदान करने में आवश्यकता से छूट" के अर्थ

अगर नीचे सूचीबद्ध छूट में से एक आप पर लागू होता है तो इसका मतलब है कि आपको अपने वीजा आवेदन के हिस्से के रूप में अपनी उंगलियों के निशान और लाइव कैप्चर मुख छवि प्रदान करने की आवश्यक नहीं है.

#### 2. छूट

निम्नलिखित आवेदक बायोमीट्रिक मुक्त हैं.

**आयु**

ए. आपके ऑनलाइन वीजा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छूट दी गई है.

**स्थिति/ श्रेणी**

बी. राज्य प्रमुख और उनके घर का हिस्से के उनके परिवार के सदस्यों को चाहे आधिकारिक तौर पर या निजी तौर पर यात्रा कर रहे हों और निजी कर्मचारियों और प्रतिनिधिमंडलों में शामिल अधिकारियों को छूट दी गई है. उनके घर के सदस्यों में जीवनसाथी / सिविल साथी/ 18 वर्ष से कम के



बच्चे शामिल हैं.

सी. आयरलैंड द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य प्रमुख और सरकार के मंत्री, उनके घर का हिस्से के उनके परिवार के सदस्यों और अधिकृत उद्देश्य से राज्य में यात्रा कर रहे प्रतिनिधिमंडलों में शामिल अधिकारियों को छूट दी गई है. उनके घर के सदस्यों में जीवनसाथी/ सिविल साथी/ 18 वर्ष से कम के बच्चे शामिल हैं.

डी. राजनयिकों, प्रशासनिक, तकनीकी और सेवा कर्मचारियों और कैरियर कौन्स्युलर अधिकारियों, और उनके घर के हिस्से के उनके परिवार के सदस्यों जो आयरलैंड से मान्यता प्राप्त हैं उन्हें छूट दी गई है. उनके घर के सदस्यों में जीवनसाथी/ सिविल साथी/ 18 वर्ष से कम के बच्चे/ 25 साल की उम्र तक आश्रित बच्चे जो पूर्णकालिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं शामिल हैं.

ई. एक देश से राज्य से गुजर रहे राजनयिकों को छूट दी गई है जो मान्यता प्राप्त हैं. उनके परिवार में उनके घर का हिस्सा बनाने के सदस्य भी छूट दी गई है. उनके घर के हिस्से के उनके परिवार के सदस्यों को भी छूट दी गई है. उनके घर के सदस्यों में जीवनसाथी/ सिविल साथी/ 18 वर्ष से कम के बच्चे शामिल हैं.

एफ. राज्य में यात्रा कर रहे/ राज्य से गुजर रहे राजनयिक कोरियर को छूट दी गई है.

जी. राज्य में आधिकारिक पक्ष के हिस्से के रूप में अपनी आधिकारिक क्षमता से यात्रा कर रहे राजनयिकों या सरकारी मंत्रियों या समकक्ष के प्रतिनिधिमंडल को छूट दी गई है जहां उनका आवेदन पत्र आमंत्रित विभाग से एक निमंत्रण पत्र के नोट वर्बल के साथ हो (यानी संबंधित सरकारी विभाग यात्रा की प्रकृति का विवरण और कौन यात्रा कर रहा है यह तय कर रहा है)

**नोट:** सरकारी/ सर्विस पासपोर्ट धारक उनकी सरकार के काम के लिए आयरलैंड आ रहे हैं वे बायोमीट्रिक्स प्रदान करने की आवश्यकता से मुक्त नहीं हैं (जब तक वे अन्यथा छूट के लिए अर्हता प्राप्त न हों).

एच. अंतरसरकारी संगठनों के कर्मचारी आयरलैंड स्थित या कार्यालयों के साथ जिनकी भर्ती विदेश में हुई है उन्हें छूट है साथ ही अंतरसरकारी संगठनों के प्रतिनिधि व कर्मचारी सरकारी काम पर अपनी आधिकारिक क्षमता में आयरलैंड आने वाले उस संगठन के जहां उनके आवेदन पत्र के साथ एक अंतरसरकारी संगठन द्वारा यात्रा का विवरण व प्रकृति तय करता नोट आयरलैंड में आमंत्रित संगठन से एक निमंत्रण पत्र है. उनके घर के हिस्से के उनके परिवार के सदस्यों को छूट है. उनके घर के सदस्यों में जीवनसाथी/ सिविल साथी/ 18 वर्ष से कम के बच्चे शामिल हैं. सरकारी पार्टी या प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बने अन्य लोगों में हैं अंतरसरकारी संगठन कर्मचारी जैसे सिविल सर्वेंट, सचिव और दुभाषियों को भी छूट दी गई है.

**नोट:** "अंतरसरकारी संगठन" दर्शाता है वे संगठन जो प्राथमिक रूप से सदस्य राज्यों से बने हैं. उदाहरण के लिए यूरोपीय परिषद (सीओई), यूरोपीय संघ (ईयू), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी), यूरोप में सुरक्षा और सहयोग के लिए शामिल संगठन (ओएससीई), संयुक्त राष्ट्र (यूएन), विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ).

आई. विमान चालक दल के सदस्य जो विमान के चालक दल के सदस्य के रूप में आते हैं और इंगेजमेंट के तहत 7 दिनों के भीतर या तो उसी या दूसरे विमान में चले जाएँगे उन्हें छूट है.

**नोट:** एयरलाइन चालक दल जो अधिकतम 24 घंटे में गुजर जाता है को वीजा की आवश्यकता नहीं है (जब तक वे उस देश के नागरिक हैं जो पारगमन वीजा के प्रयोजनों के लिए निर्धारित है).

**वे व्यक्ति जिनके लिए बायोमीट्रिक्स प्रदान करना शारीरिक रूप से असंभव है**

जे. आवेदक जिनके लिए बायोमीट्रिक्स प्रदान करना शारीरिक रूप से असंभव है (जैसे आपातकाल "स्ट्रेचर" मामले) को छूट दी गई है.

**नोट:** 1 उंगली या कोई उंगली न होने वाले आवेदक को उंगलियों के निशान प्रदान करने से छूट दी गई है. हालांकि, उनके लिए लाइव कैप्चर मुख छवि प्रदान करना आवश्यक है और इसलिए वे बायोमीट्रिक मुक्त नहीं हैं.

- अगला सवाल पूछा जाएगा क्या आपने पहले कभी आयरिश वीजा के लिए आवेदन किया है, और कभी आप को जारी किया गया है
- अगर आपको आयरिश वीजा जारी किया गया है, तो आपको उस आयरिश दूतावास/ वाणिज्य दूतावास/ वीजा कार्यालय का स्थान बताना होगा जहां आपने आवेदन किया था, या उस समय आप को जारी की गई संदर्भ संख्या उपलब्ध करानी होगी
- इसके बाद आपको बताना होगा क्या आपको कभी आयरिश वीजा देने से इनकार किया गया है. यदि किया गया है, तो आपको उस आयरिश दूतावास/ वाणिज्य दूतावास/ वीजा कार्यालय का स्थान बताना होगा जहां आपने आवेदन किया था, या उस समय आप को जारी की गई संदर्भ संख्या उपलब्ध करानी होगी
- अगला सवाल पूछा जाएगा क्या आप पहले कभी आयरलैंड गए हैं. अगर आप कभी अतीत में किसी भी समय आयरलैंड गए हैं, कानूनी तौर पर या अवैध रूप से, आपको इस सवाल का जवाब 'हाँ' में देना होगा.
- अगर आप इस सवाल का जवाब 'हाँ' में देते हैं, तो और प्रश्न दिखाई देंगे. आपसे आपकी पिछली यात्रा का उद्देश्य पूछा जाएगा, और आपके प्रवास के दौरान आपको जारी संदर्भ संख्या प्रदान करने के लिए को कहा जाएगा - जैसे न्याय विभाग संदर्भ संख्या, गार्डा राष्ट्रीय आप्रवासन ब्यूरो (GNIB) संख्या, या एक निजी लोक सेवा (पीपीएस) संख्या. अगर आयरलैंड में अपने पिछले समय केवल अल्प अवधि लिए किया गए थे, तो अधिक संभावना है कि इन नंबरों के आपको कोई भी प्राप्त नहीं हुई होगी और आप इन बाक्सों को खाली छोड़ सकते हैं
- अगला सवाल पूछा जाएगा क्या आपके परिवार के सदस्य आयरलैंड में रहते हैं- इसमें शामिल है विस्तारित परिवार सदस्यों जैसे आंटी/ अंकल/ कजिन// ग्रांडचिल्ड्रन/ ग्रांडपैरेंट्स/ ससुराली
- अगर आप इस सवाल का जवाब 'हाँ' में देते हैं, तो और प्रश्न दिखाई देंगे, परिवार के किसी एक सदस्य का नाम, जन्म तिथि, आपसे संबंध, और न्याय विभाग संदर्भ संख्या. आपको आयरलैंड में अपने परिवार के मुख्य संपर्क का ब्यौरा देना चाहिए. अगर आपके एक से अधिक परिवार सदस्य यहां रहते हैं, तो आपको एक अलग शीट पर उनकी सूची अपने सपोर्टिंग डाक्यूमेंटेशन के साथ प्रस्तुत करना चाहिए

- न्याय विभाग संदर्भ संख्या आयरलैंड में रहने वाले सभी नॉन- ईईए/ स्विस नागरिकों को जारी किया जाता है. यह उनके गार्डा (GNIB) पंजीकरण कार्ड पर पाया जा सकता है.
- फिर पूछा जाएगा क्या आपको कभी आयरलैंड में प्रवेश करने की अनुमति से इनकार किया गया है. क्या आप कभी आयरलैंड में प्रवेश के लिए किसी बंदरगाह पर आ चुके हैं और आव्रजन अधिकारी द्वारा प्रवेश नहीं दिया गया चाहे आपके पास वीजा था या नहीं?
- आपको कभी आयरलैंड से निर्वासित किया गया, या आप निर्वासन के अधीन हैं इसकी अधिसूचना मिली है?
- आपको कभी आयरलैंड के अलावा किसी अन्य देश के लिए वीजा से इनकार किया गया है?
- आपको कभी आयरलैंड के अलावा किसी अन्य देश द्वारा प्रवेश से इनकार, निर्वासित, या अन्यथा देश छोड़ने के लिए कहा गया है?
- अगर आपका इन 4 सवालों का जवाब 'हाँ' है, तो आपको दिए गए बॉक्स में संबंधित देश, दिनांक और कारण सहित विवरण, देना चाहिए.
- अगर आपका इन सवालों में किसी का भी जवाब 'नहीं' है और बाद में पता चलता है कि आपने सच्चाई से जवाब नहीं दिया, तो आपका वीजा आवेदन रद्द हो जाएगा
- इस खंड में अंतिम सवाल है क्या आपको किसी अपराधी में सजा मिली है. अगर आपका जवाब 'हां' में है, तो आपको आगे अपनी सजा के कारण के बारे में प्रश्न का जवाब देना होगा, यह कहाँ और कब हुआ, और आपकी सजा की लम्बाई
- सेव एंड कन्टीन्यू बटन पर क्लिक करें
- अगर आपने किसी भी अनिवार्य क्षेत्र को खाली छोड़ दिया है, तो स्क्रीन के शीर्ष पर लाल रंग में एक संदेश दिखाई देगा. आपको स्क्रीन पर नीचे स्कॉल करने की आवश्यकता है यह देखने के लिए कि कौनसा क्षेत्र पूरा करने की जरूरत है

### पासपोर्ट के विवरण

- आपको बताना होगा कि आपका पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज कहाँ जारी किया गया था, और जारी होने की तारीख और समाप्ति की तारीख देने की जरूरत है
- अगर यह आपका पहला पासपोर्ट नहीं है, तो आपको अगले प्रश्न के जवाब में 'नहीं' पर टिक चाहिए. फिर पिछले पासपोर्ट के संबंध में आगे के प्रश्न प्रस्तुत किए जाएँगे – वही विवरण पहले जैसा आवश्यक है - संख्या, जारी करने का अधिकारी और जारी होने और समाप्ति की तारीख

### रोजगार/ कॉलेज विवरण

- यह खंड आपके निवास के देश में आपके वर्तमान रोजगार या अध्ययन से संबंधित है. पहला सवाल पूछा जाएगा क्या आप वर्तमान में कार्यरत हैं – अगर आपका जवाब 'हाँ' है तो आपको आगे के प्रश्न उपलब्ध कराए जाएँगे आपके वर्तमान नियोक्ता, रोजगार की अवधि, पद, कार्य पता और आपके नियोक्ता के व्यापार टेलीफोन नंबर एक ईमेल पते के विवरण की पूछे जाएँगे
- अगला सवाल पूछा जाएगा आप वर्तमान में छात्र हैं - अगर आपका जवाब 'हाँ' है तो स्कूल या कॉलेज का नाम, पता, फोन नंबर और ईमेल पते प्रदान करने के लिए कहा जाएगा
- सेव एंड कन्टीन्यू बटन पर क्लिक करें
- अगर आपने किसी भी अनिवार्य क्षेत्र को खाली छोड़ दिया है, तो स्क्रीन के शीर्ष पर लाल रंग में एक संदेश दिखाई देगा. आपको स्क्रीन पर नीचे स्कॉल करने की आवश्यकता है यह देखने के लिए कि कौनसा क्षेत्र पूरा करने की जरूरत है

## दूसरों के साथ यात्रा

- अगला सवाल पूछ जाएगा क्या आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ यात्रा करेंगे -व्यापार सहयोगी, परिवार का सदस्य, या ग्रुप के हिस्से के रूप में.
- अगर आपका जवाब 'हाँ' है तो आपको उन व्यक्ति(यों) के नाम प्रदान करने और (यदि हो तो) उनसे संबंध बताने के लिए कहा जाएगा
- अगर आप किसी समूह का हिस्सा हैं, तो समूह के नेता का नाम दें
- सेव एंड कन्टीन्यू बटन पर क्लिक करें

## आयरलैंड में संपर्क / मेजबान

- अगर आपका आयरलैंड में कोई व्यक्तिगत संपर्क या मेजबान नहीं है, तो आपको अपनी यात्रा के दौरान रहने की जगह का नाम और पता देना चाहिए
- अगर आप व्यापारिक, या सम्मेलन या इवेंट के लिए यात्रा कर रहे हैं, तो आपको अपने आयरिश स्थित मेजबान/ आयोजक का व्यवसाय पता और डे टाइम टेलीफोन नंबर देना होगा जिसपर उनसे संपर्क किया जा सकता है
- अगर आप काम या अध्ययन के लिए आयरलैंड के लिए आ रहे हैं तो आपको अपने आयरिश स्थित नियोक्ता/ कॉलेज का व्यवसाय पता और डे टाइम टेलीफोन नंबर देना होगा जिसपर उनसे संपर्क किया जा सकता है
- अगर आप परिवार या दोस्तों से मिलने/ शामिल होने आ रहे हैं, तो आपको उनके घर का पता और डे टाइम टेलीफोन नंबर देना होगा जिसपर उनसे संपर्क किया जा सकता है
- फिर कृपया बताएँ क्या आपके मेजबान/ संपर्क व्यक्तिगत रूप से आपको जानते हैं
- यदि आपका जवाब 'हाँ' में है, तो कृपया उनका सरनेम, फोरनेम, राष्ट्रीयता का देश, व्यवसाय, आपसे उनका संबंध, और उनका न्याय विभाग संदर्भ संख्या दें (अगर नॉन-ईईए/ स्विस् नेशनल है)
- यदि आपका जवाब 'नहीं' में है, तो कृपया उस व्यक्ति का सरनेम, फोरनेम दें, जिससे आपने कंपनी/ महाविद्यालय/ संगठन में संपर्क किया
- सेव एंड कन्टीन्यू बटन पर क्लिक करें
- अगर आपने किसी भी अनिवार्य क्षेत्र को खाली छोड़ दिया है, तो स्क्रीन के शीर्ष पर लाल रंग में एक संदेश दिखाई देगा. आपको स्क्रीन पर नीचे स्कॉल करने की आवश्यकता है यह देखने के लिए कि कौनसा क्षेत्र पूरा करने की जरूरत है

## आपका परिवार

- कृपया ड्रॉप डाउन मेनू से चुनें आप सिंगल, विवाहित/ सिविल पार्टनरशिप में, वैधव्य में, तलाकशुदा, परित्यक्त डी-फेक्टो पार्टनर है.
- अगर आपका जीवनसाथी या पार्टनर है, कृपया उसका सरनेम, फोरनेम, कोई अन्य नाम दें (जैसे मायके का नाम या जन्म नाम) और जन्म तारीख दें
- उनका पासपोर्ट संख्या, और दर्शाएँ क्या वे आप के साथ यात्रा में होंगे
- अगर वे आप के साथ यात्रा कर रहे हैं, क्या उन्हें अपना स्वयं का पासपोर्ट मिल गया है, या उनका नाम आपके पासपोर्ट पर है? अगर वे आप के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो एक अलग आवेदन करना और अलग शुल्क देय होगा

- चुनें आपका जीवनसाथी/ पार्टनर पुरुष है या स्त्री, और उस देश का चयन करें जिसमें वे वर्तमान में रहते हैं
- इसके बाद, अपने आश्रित बच्चों की संख्या दर्ज करें और उनके उपनाम, फोरनेम, जन्म की तारीख, लिंग, और राष्ट्रीयता प्रदान करें.
- कृपया बताएँ कि बच्चा आपके पासपोर्ट पर यात्रा कर रहा है या उसका अपना पासपोर्ट है. प्रत्येक बच्चे के लिए एक अलग आवेदन किया जाना चाहिए, भले ही वे आपके पासपोर्ट में शामिल हों. प्रत्येक आवेदन के लिए वीजा प्रोसेसिंग शुल्क देय है.
- अगर आप पर 6 से अधिक बच्चे निर्भर हैं, तो कृपया एक अलग शीट पर अतिरिक्त विवरण प्रदान करें और अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में शामिल करें
- सेव एंड कन्टीन्यू बटन पर क्लिक करें

वीजा आवेदनों की कई श्रेणियों के लिए, अब आप अपने आखिरी सवाल पर पहुँच गए हैं जो पूछेगा क्या आपने इस ऑनलाइन आवेदन को पूरा करने में किसी एजेंट/ एजेंसी से सहायता ली है.

वीजा आवेदनों की अन्य श्रेणियों, जैसे रोजगार और अध्ययन, के लिए विशेष कुछ और सवाल हैं और वे इस दस्तावेज़ के अंत में रेखांकित किए गए हैं.

### इस फार्म के साथ सहायता

- अगर आपने अपने ऑनलाइन आवेदन को पूरा करने में किसी एजेंट/ एजेंसी से सहायता प्राप्त की है तो आपको एजेंट का नाम, एजेंसी का नाम और पता, और डे टाइम टेलीफोन नंबर देना होगा जिसपर एजेंट से संपर्क किया जा सकता है

### घोषणा

जब आपने सभी सवालों के पूरा कर लिया है तो आपके सामने एक घोषणा प्रस्तुत की जाएगी जो आपको पढ़नी होगी. अगर आप इस घोषणा की सामग्री से सहमत हैं तो आपको इस बात की पुष्टि करने के लिए बॉक्स में टिक करने की जरूरत है. घोषणा का पाठ आपकी जानकारी के लिए नीचे निर्धारित किया है.

### आवेदक द्वारा घोषणा

अब आप नीचे घोषणा पढ़ और इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं. यह व्यक्तिगत रूप से आवेदक के हस्ताक्षरित होनी चाहिए.

18 से कम आयु के व्यक्ति का आवेदन माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा पूरा किया जाना चाहिए.

### घोषणा

मैं इसके द्वारा आयरलैंड के लिए वीजा के लिए आवेदन दे रहा हूँ. जानकारी जो मुझे दी गई वह पूर्ण और मेरी जानकारी के अनुसार सही है. साथ ही मैं घोषणा करता हूँ कि इस फार्म के साथ प्रस्तुत तस्वीर मेरी पूरी समानता है, आवेदक. मैं पुष्टि करता हूँ कि अगर, आवेदन पर फैसले से पहले, मेरी परिस्थितियों में परिवर्तन है या इस आवेदन से प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध है, मैं अपने आवेदन की हैंडलिंग के लिए दूतावास/ वाणिज्य दूतावास/ वीजा कार्यालय को सूचित करूँगा.

मैं समझता हूँ कि मेरे आवेदन पर प्रोसेस करने से पहले मुझे अपनी बायोमेट्रिक जानकारी (उंगलियों के निशान और चेहरे की छवि) प्रदान करनी आवश्यक हो सकती है और ऐसी कोई जानकारी, मेरी जीवनी की जानकारी के साथ, न्याय और समानता विभाग के आयरिश न्यूट्रलाइजेशन और आव्रजन सेवा के लिए यूनाइटेड किंगडम गृह मंत्रालय या अन्य अधिकृत एजेंट द्वारा एकत्र की जाएगी. यदि आवश्यक हो तो मैं अपनी बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत हूँ और इस प्रक्रिया को सहमते देता हूँ.

मैं जानता हूँ कि इस आवेदन के प्रयोजन के लिए आपूर्ति किए गए व्यक्तिगत डेटा का डेटा नियंत्रक आयरिश न्यूट्रलाइजेशन और आव्रजन सेवा, न्याय और समानता विभाग है. मैं आयरिश न्यूट्रलाइजेशन और आव्रजन सेवा, विदेश मामलों और व्यापार और किसी भी अन्य निकाय द्वारा आयरिश कानून के अनुसार डेटा संरक्षण कानून सहित आयरलैंड और अपने नागरिकों के हितों को प्रमोट करने के उद्देश्य से, निष्पक्ष और प्रभावी आप्रवास नियंत्रण बनाए रखने, पहचान और/ या आव्रजन इतिहास/ आपराधिक इतिहास की पुष्टि/ स्थापना, और संरक्षण और आम यात्रा क्षेत्र को मजबूत बनाने सहित के लिए सहमत हूँ. मैं आपूर्ति किए गए व्यक्तिगत डेटा को उपरोक्त उद्देश्यों के लिए आयरिश न्यूट्रलाइजेशन और आव्रजन सेवा द्वारा आगे प्रोसेसिंग के लिए रखने के लिए सहमत हूँ. मैं आगे की प्रक्रिया के लिए ब्रिटेन के गृह मंत्रालय द्वारा के साथ साझा किए और बनाए रखे अपने बायोमेट्रिक और/ या जीवनी जानकारी को आम यात्रा एरिया में निष्पक्ष और प्रभावी आप्रवास नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से कानून के अनुसार रखे जाने पर सहमत हूँ.

मैं सहमत हूँ कि मेरे आवेदन में दिए डेटा और/ या आगे दिए गए डेटा, बायोमेट्रिक जानकारी सहित और प्रासंगिक डेटाबेस पर की गई जाँच के परिणाम, अन्य आयरिश सरकार के विभागों और/ या एजेंसियों गार्ड सिओचना (आयरिश पुलिस) सहित, साथ ही यूरोपीय संघ राज्य सदस्य/ ईईए और/ या अन्य राज्य, पहचान और/ या आव्रजन इतिहास/ आपराधिक इतिहास की पुष्टि करने के उद्देश्य सहित सरकारी अधिकारियों को बताया जा सकता है.

मैं समझता हूँ कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (सीसीटीवी) द्वारा रिकार्ड किया जा सकता है जब मैं अपने बायोमेट्रिक्स और जीवनी विवरण प्रदान करने या अपने दस्तावेज दर्ज कराने के उद्देश्य से किसी सेन्टर में जाऊंगा और वीजा आवेदन प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसी किसी भी रिकॉर्डिंग को बनाए रखा जा सकता है.

मैं समझता हूँ कि मेरा आवेदन संसाधित करने से पहले अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो सकती है. मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह के डेटा उपलब्ध कराने के दूतावास/ वाणिज्य दूतावास/ वीजा कार्यालय के अनुरोध में विफलता, से मेरा आवेदन रद्द हो सकता है.

मैं समझता हूँ कि कोई भी गलत या भ्रामक जानकारी, या झूठे सपोर्टिंग दस्तावेज, के परिणाम स्वरूप अपील के अधिकार के बिना मेरा आवेदन रद्द हो सकता है, और मुझे पांच साल की अवधि के लिए आगे वीजा आवेदन करने से रोका जा सकता है.

साथ ही मैं समझता हूँ कि अगर मैं बायोमेट्रिक्स प्रदान करने की आवश्यकता से मुक्त होने के लिए गलत तरीके से दावा करता हूँ तो अपील के अधिकार के बिना मेरा आवेदन रद्द हो सकता है, और मुझे पांच साल की अवधि के लिए आगे वीजा आवेदन करने से रोका जा सकता है.

मैं सहमत हूँ कि इस वीजा आवेदन के परिणाम आम ट्रेवल क्षेत्र की अखंडता बनाए रखने के उद्देश्य से ब्रिटेन के गृह मंत्रालय को उपलब्ध कराए जा सकते हैं.

मैं सहमत हूँ कि वीजा आवेदन और सपोर्टिंग दस्तावेज, या प्रतियां, उचित माध्यम से आयरिश निर्णय लेने से प्राधिकरण को भेजी जा सकती हैं जैसा प्राप्त कार्यालय द्वारा उचित माना जाए, इसमें वाणिज्यिक क्रियर (मोहरबंद पैकेज में) या अन्य डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम शामिल हैं.

मैं नीति अनुसंधान और/ या ग्राहकों की प्रतिक्रिया सर्वेक्षण के संचालन के प्रयोजनों के लिए न्याय और समानता के विभाग के आयरिश न्यूट्रलाइजेशन और आव्रजन सेवा द्वारा संपर्क किए जाने के लिए सहमत हूँ. कोई भी अतिरिक्त जानकारी इस उद्देश्य के लिए पूरी तरह से उपयोग की जाएगी.

में सहमत हूँ कि इस आवेदन के प्रयोजनों के लिए जो भी आवश्यक हो इस घोषणा में सहमति में किसी भी कानूनी आवश्यकता के लिए सभी आवश्यक सहमति का गठन हो.

आवेदक/ माता पिता या कानूनी अभिभावक के हस्ताक्षर

(18 वर्ष से कम उम्र के आवेदक के मामले में)

तिथि

इसके बाद आप अपने द्वारा दर्ज सारी जानकारी से युक्त स्क्रीन देखेंगे. आपको सलाह दी जाती है कि इसे प्रिंट कर लें और किसी भी त्रुटि के लिए जाँच करें.

अगर आपको इस स्तर पर कोई परिवर्तन करने की जरूरत है तो आप प्रासंगिक प्रश्न को नेविगेट करने के लिए 'बैक' बटन का उपयोग कर ऐसा कर सकते हैं.

इसके बाद आपको अंतिम स्क्रीन पर वापस नेविगेट करने के लिए 'सेव एंड कन्टीन्यू' बटन पर क्लिक करने की जरूरत है आप अपने सभी विवरण सही ढंग से दर्ज किया गया है कि संतुष्ट हैं, 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें.

इसके बाद, 'ट्यू एंड प्रिंट समरी शीट' बटन पर क्लिक करें. इसमें आपके आवेदन के संबंध में संक्षिप्त विवरण और आपको अपना आवेदन कैसे और कहाँ जमा करना है, प्रासंगिक शुल्क और स्पोर्टिंग दस्तावेज प्रस्तुत करना शामिल होंगे.

इस समरी शीट में घोषणा भी शामिल है जो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, जिसपर अब आपको हस्ताक्षर करना है.

केवल आवेदन करने वाला व्यक्ति ही इस घोषणा पर हस्ताक्षर कर सकता है. आवेदक 18 वर्ष से कम आयु का है, तो माता पिता या अभिभावक को उसकी ओर से हस्ताक्षर करना चाहिए.

कृपया सुनिश्चित करें कि आपने अपना नाम और अपनी तस्वीर के पीछे आपके आवेदन ट्रांजेक्शन संख्या मुद्रित कर ली है। कृपया फार्म के साथ फोटो संलग्न न करें। यह महत्वपूर्ण है कि आपका फोटो इस दस्तावेज के पेज 1 पर सूचीबद्ध आवश्यकताओं को पूरा करता हो, इन आवश्यकताओं को पूरा न करने वाला फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जा सकता और आपके वीजा आवेदन की प्रोसेसिंग में देरी का कारण होगा।

### **आयरिश दूतावास/ वाणिज्य दूतावास/ वीजा कार्यालय/ वीजा आवेदन केंद्र को दस्तावेज प्रस्तुत करना**

एक बार आपने ऑनलाइन आवेदन जमा कर लिया तो अपने सपोर्टिंग दस्तावेज, देय शुल्क और भुगतान की विधि प्रस्तुत करने के तरीके के बारे में जानकारी के लिए आपको समरी शीट पर दिखाई वेबसाइट के पते की जांच करनी चाहिए।

आपकी समरी शीट, प्रासंगिक शुल्क (या शुल्क के भुगतान की पुष्टि जहां आपको भुगतान ऑनलाइन करना आवश्यक है), 2 फोटो जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हों, और वीजा की श्रेणी के लिए आवश्यक सभी सपोर्टिंग दस्तावेज जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, बिना देर किए प्रासंगिक आयरिश दूतावास/ वाणिज्य दूतावास/ वीजा कार्यालय/ वीजा आवेदन केंद्र को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

### **अगर आप रोजगार या अध्ययन वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कृपया नीचे देखें**

#### **रोजगार वीजा आवेदन**

अगर आप आयरलैंड में काम करने के लिए वीजा आवेदन कर रहे हैं, तो आपके पास आयरिश न्यूट्रलाइजेशन और आव्रजन सेवा द्वारा संचालित असामान्य कार्य योजना के तहत रोजगार विभाग, एक रोजगार परमिट के तरीके या अनुमोदन से उद्यम और अभिनव विभाग की अनुमति होनी चाहिए।

अगर आपने आयरलैंड की यात्रा के कारण के रूप में 'रोजगार' का चयन किया है, अपने परिवार का विवरण दर्ज किया है, तो आपके सामने एक और स्क्रीन प्रस्तुत की जाएगी।

- आपको अब सामान्य कार्य योजना के लिए अपने रोजगार परमिट/ अनुमोदन की संदर्भ संख्या दर्ज करनी होगी।  
**नोट:** यदि आप वान डेर एल्स्ट वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको रोजगार परमिट नहीं होगा। कृपया संदर्भ संख्या के लिए दिए गए बॉक्स में N/ A दर्ज करें।
- इसके बाद आपको उस कंपनी का नाम और पते देने की जरूरत है जिसके लिए आप काम करते हैं।
- कृपया उस कंपनी के भीतर किसी का संपर्क नाम, टेलीफोन नंबर, और ईमेल पता प्रदान करें जिससे वीजा अधिकारी दिन में काम के घंटे के दौरान संपर्क कर सकते हैं।
- अब अंतिम रूप देने और अपने आवेदन जमा करने और सपोर्टिंग दस्तावेज के लिए ऊपर दिए गए निर्देशों का पालन करें

#### **स्टडी वीजा आवेदन**

अगर आप आयरलैंड में अध्ययन करने के लिए वीजा आवेदन करना चाहते हैं तो आपको पहले अध्ययन का पाठ्यक्रम स्वीकार करना चाहिए – कृपया आयरलैंड में पढ़ाई पर जानकारी के लिए [www.inis.gov.ie](http://www.inis.gov.ie) देखें और यह ऑनलाइन आवेदन पूरा करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।



- आपको पुष्टि करनी होगी कि आपको एक अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए स्वीकार किया गया है, और स्कूल/ कॉलेज, कोर्स टाइटल और अवधि का नाम देना होगा
- पुष्टि करें क्या आपने कॉलेज के अपने पूरे शुल्क का भुगतान कर दिया है
- प्रत्येक सप्ताह दिन के समय ट्यूशन के घंटों की संख्या बताएँ जिनमें आप भाग लेंगे
- इसके बाद आपको बताना होगा क्या आपने पहले कभी आयरलैंड में अध्ययन किया है. अगर आपका जवाब 'हाँ' में है तो आपको दिए गए बॉक्स में विवरण प्रदान करने की आवश्यकता होगी- कॉलेज का नाम, लिया गया कोर्स, और प्रारंभ और समाप्त होने की तारीख
- अगला सवाल होगा 'क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं'. अगर आपका जवाब 'हाँ' में है तो आपको किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अंग्रेजी भाषा योग्यता का ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए कहा जाएगा. कृपया हमारी अंग्रेजी भाषा आवश्यकताओं की जानकारी के लिए हमारे छात्र वीजा दिशानिर्देश देखें.
- फिर आपको आजतक की अपनी शैक्षिक योग्यता का ब्यौरा देने की जरूरत है. इसमें दूसरे और तीसरे दोनों स्तर की शिक्षा योग्यता आती है, और आपको स्कूल/ कॉलेज का नाम दर्ज करना होगा, जिन तारीखों के बीच आपने भाग लिया वह, और योग्यता जो आपने प्राप्त की वह भरनी होगी
- आपकी पिछले शिक्षा की अवधि और इस आवेदन के बीच कोई अंतराल दिए गए बॉक्स में होना चाहिए
- अगर आपने कभी कोई काम किया है, तो कृपया विवरण दें - नियोक्ता के नाम, दिनांक कार्यरत और आपका पद
- फिर आपको विवरण देना चाहिए कि आयरलैंड में रहते आपका वित्तीय सपोर्ट क्या होगा- आपके पास अपना खुद का वित्त है, आपका कोई प्रायोजक (जैसे परिवार के सदस्य) है, आप अपनी सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं या आपको किसी और प्रकार की वित्त सहायता प्राप्त है?
- अगर आप विकल्प 'प्रायोजक' चुनते हैं, तो आपको अपने मुख्य प्रायोजक का नाम, आपके साथ उसका संबंध, उनका पता दिन का फोन नंबर जिसपर वीजा अधिकारी उनसे संपर्क कर सकते हैं देना होगा.
- अगर आपके एक से अधिक प्रायोजक हैं, तो सपोर्टिंग दस्तावेज के साथ एक अलग शीट पर उपरोक्तानुसार विवरण प्रदान करें
- अगर कोई अन्य फंड हैं जिनपर आप विचार करना चाहते हैं, तो दिए गए बॉक्स में विवरण दर्ज करें.
- अब अंतिम रूप देने और अपने आवेदन और सपोर्टिंग दस्तावेज जमा करने के लिए ऊपर दिए गए निर्देशों का पालन करें

# EUROTEXT


TRANSLATIONS

Unit 4, Adelphi House, Upper George's Street, Dun Laoghaire, Co Dublin, Ireland  
Tel: + 353 1 7096400 Fax: + 353 1 2846132  
Email: info@eurotexttranslations.com Web: www.eurotexttranslations.com

Dun Laoghaire, 26 September 2014

## True and Accurate Certificate

I, Sophie Murphy, of Eurotext Translations, hereby certify that the Hindi translation of the English source file Declaration by Applicant.doc is substantially true and accurate.



---

Sophie Murphy  
Production Manager  
Eurotext Translations

B R E A K I N G   T H E   L A N G U A G E   B A R R I E R S   F O R   B U S I N E S S

Eurotext Translations Ltd. Reg. in Dublin No. 121501 VAT no. IE 4814444 L  
Directors: John McSweeney, John Shine, Jennifer Walsh

Eurotext Translations - An ISO 9001:2008 and EN 15038:2006 certified Company